छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासनका एक उपक्रम)(छ0रा0वि0मंडल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

कार्यालय मुख्य अभियंता (ई.आई.टी.सी.), डंगनिया, रायपुर

सी.आई.एन. : U40108CT2003SGC015822

दूरभाष(0771) - 2574 123, फैक्स : (0771) - 2574 125

वेबसाईटःwww.cspcl.co.in ईमेलeitc@cspc.co.in

क्रमांक 07–01/अपील प्रकरण–01–2019/851 रायपुर, दिनॉक 25/07/2019

सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत् जानकारी प्रदाय करने हेतु प्रथम अपील।
प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 01–2019
अपील कर्ता : श्री प्रशांत पानसे, सहायक अभियंता,
उपसंभाग (टी.एस.जी) सीएसपीडीसीएल, कवर्धा।
अपील सुनवाई दिनॉक : 18.07.2019

आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् जानकारी प्रदाय करने हेतु प्रथम अपील की सुनवाई दिनॉक 18.07.2019 को की गई, जिसमें अपील कर्ता श्री प्रशांत पानसे एवं जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियंता (ऊ.सू.प्रो.के.) श्रीमती शारदा रानी उपस्थित हुए। जनसूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि अपील कर्ता द्वारा वांछित दो बिन्दुओं की जानकारी के दस्तावेज मुख्य अभियंता, ई.आई.टी.सी. कार्यालय में संधारित नहीं किये जाते हैं। अपील कर्ता द्वारा तर्क किया गया कि डाटा सर्वर में है जिसे आरटीआई के तहत् निकाला जा सकता है। जनसूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि ईआईटीसी अथवा अन्य किसी कार्यालय को कोई डाटा निकालना हो तो सर्वप्रथम यह आवश्यक होगा कि साफ्टवेयर में निकलने वाली रिपोर्ट में वह सम्मिलित हो अन्यथा संभव नहीं है। यह भी बताया गया कि रिपोर्ट को रन करना पड़ता है, जिसमें डाटा की मात्रा के आधार पर लगने वाले समय पर निर्भर करेगा रिपोर्ट प्राप्त होना। तात्पर्य यह है कि कोई भी रिपोर्ट सर्वर में सीधे संधारित नहीं होती। सर्वर को साफ्टवेयर के अनुसार आवश्यक निर्देश देने होते हैं जिस पर कम्प्यूटर द्वारा सर्वर में उपलब्ध अनेकों डाटा का विश्लेषण किया जाता है एवं तद्नुसार कोई रिपोर्ट का प्रिंट निकलता है। कई रिपोर्टों में 10 से 12 घंटे भी लगते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वर में डाटा ही संधारित होते हैं कोई रिपोर्ट सीधे तौर पर संधारित नहीं होती है। इस पर अपील कर्ता द्वारा कहा गया कि यह स्पष्ट हुआ कि ईआईटीसी के पास मेरे द्वारा चाही जानकारी नहीं है, अतः कृपया यह स्पष्ट कर दें कि यह जानकारी किसी कार्यालय में उपलब्ध है तथा ईआईटीसी कार्यालय उन कार्यालयों से जानकारी प्राप्त कर दिलवा दें। जनसूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके संज्ञान में यह नहीं है कि उक्त वांछित जानकारी किस कार्यालय में उपलब्ध है, अतः इसी कारण अपील कर्ता के आवेदन को किसी अन्य कार्यालय में अंतरित भी नहीं किया गया था। वस्तुतः वांछित जानकारी एक विशेष प्रकार की जानकारी है, जो सामान्यतः प्रचलित जानकारियों/रिपोर्ट/दस्तावेज से भिन्न है। अतः यह बताना कठिन है कि उनके द्वारा वांछित जानकारी किस कार्यालय में उपलब्ध होगी। आवेदक स्वतः स्वतंत्र है कि वे जिन्हें उचित समझे वहॉ स्वतंत्र रूप से आवेदन लगा सकते है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपील कर्ता द्वारा चाही गई जानकारी का संधारण मुख्य अभियंता, ई.आई.टी.सी. कार्यालय में नहीं की जाती है तथा वांछित जानकारी विशेष प्रकार की होने के कारण

सामान्यतः प्रचलित जानकारियों/रिपोर्ट/दस्तावेज से भिन्न है अतः जनसूचना अधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय को अंतरित भी नहीं की जा सकती थी। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 पर मार्गदर्शिका भाग–1 के कंडिका 10के तहत् "अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकारण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना, या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना, या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।"

उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है वह पूर्णतः स्वीकार योग्य है एवं जिस पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 01/2019, दिनॉक 18.07.2019) को अस्वीकार कर एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहे तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते है।

पता :– सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग,
सेक्टर–19, नाथ ब्लॉक, अटल नगर,
जिला–रायपुर (छ.ग.) पिन–492002
दूरभाष–0771–2512106, 2512108

(हर्ष गौतम)
अपीलीय अधिकारी
एवं मुख्य अभियंताए ईआईटीसी
सीएसपीडीसीएल, रायपुर

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण–01–2019/852 रायपुर, दिनॉक /07/2019 25 JUL 2019
प्रतिलिपि :–

1. ज्नसूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, ईआईटीसी, सीएसपीडीसीएल, रायपुर।
2. श्री प्रशांत पानसे, सहायक अभियंता,उपसंभाग (टी.एस.जी) सीएसपीडीसीएल, कवर्धा।
3. कार्यपालन अभियंता (वेब) कार्यालय मुख्य अभियंता, ईआईटीसी, सीएसपीडीसीएल, रायपुर को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।